(177)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (प्रभारी सदस्य रीवा संभाग रीवा म0प्र0 ।

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.20 COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

R 5536-II/16

Rs-30/-

1- रामकरण पटेल उम्र 61 वर्ष पेशा कृषि,

2- शिवनाथ पटेल उम्र 52 वर्ष पेशा कृषि,

3- अभयलाल पटेल उम्र 46 वर्ष पेशा कृषि एवं नौकरी

----- सभी के पिता स्व0 रामकिशोर पटेल निवासी ग्राम टिकुरा उर्फ रघुनाथगंज थाना व तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

------- निगरानी कर्ता गण ।

अधिवक्ता श्री जी.पी. पटेल द्वारा पेश/21.12.16

बनाम

कार्यालय ... राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

तुलसीदास पिता स्व0 रामकिशोर पटेल निवासी ग्राम टिकुरा उर्फ रघुनाथगंज थाना व तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ----- गैर निग0कर्ता ।

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 125/अ/16/17 निर्णय दिनांक 08-11-16 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बारीकी से विचार [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5536–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री जी0 पी0 पटेल द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 125/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 8.11.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि को अनावेदक द्वारा आवेदक को बटाई पर दिया गया था और वह बाहर नौकरी करता था। अनावेदक के पिता का नाम एवं आवेदक के पिता का नाम एक होने के कारण तहसीलदार के न्यायालय में सुधार हेतु आवेदन दिया गया था लेकिन अनावेदक को कोई साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान न करते हुये विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 125/अपील/2016–17 में पारित	

आदेश दिनांक 8.11.16 के उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य